दूरभाष: 05278-245957
फैक्स: 05278-248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0 / कु.स.का. / 2021–741 दिनांकः 21 मई, 2021

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

विषयः विश्वविद्यालयों / राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में शिक्षकों / कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1109 / सत्तर–3–2021, दिनांक 19 मई, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों / राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों / कार्मिकों का वेतन भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान राजकीय कोष से तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यतर शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाता है। कोविड–19 संक्रमण काल में शिक्षकों का समय से वेतन भुगतान न किया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

उक्त के कम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में कार्यतर शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भुगतान यदि अब तक नहीं किया गया है, तो तत्काल करें एवं उसकी आख्या विश्वविद्यालय की ई–मेल आई0डी0 registrar@rmlau.ac.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बिजलीपासी किला, आशियाना, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, डॉ0 रामनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
5. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की लागिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1109 /सत्तर–3–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2–कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 19 मई, 2021

विषयः–विश्वविद्यालयों/राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान राजकीय कोष से तथा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाता है। कोविड–19 संकमण काल में शिक्षकों का समय से वेतन भुगतान न किया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

2– अतः निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। किसी शिक्षक का समय से वेतन भुगतान यदि नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– 1109(1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner